

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 295/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 18.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना फूलपुर: चोरी के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 03-08-2025 को मुकदमा वादी अमरनाथ राजभर पुत्र छट्टू राजभर ग्राम मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ ने लिखित सूचना दिया कि दिनांक 04.8.2025 को समय करीब सायं 10-30 बजे मेरे गांव का बुझारत पुत्र अभयराज राजभर मेरी दुकान पर आया और मेरी बच्ची से पूछा की तुम्हारे पापा कहा है मेरी बच्ची ने बताया की मेरे पापा सो गये है फिर चला गया उसी रात मेरे दरवाजे पर बधी चार बकरिया चुरा ले गया के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-384/25 धारा धारा 305 बीएनएस बनाम बुझारत पुत्र अभयराज राजभर नि0 ग्रा0 मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 दयानन्द के द्वारा की जा रही है, दौरान विवेचना अभियुक्त शाहबान पुत्र स्व0 शाहिद निवासी ग्राम तोवां थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा 03 बकरी बरामद के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 18.08.2025 को उ0नि0 दयानन्द मय हमराह के वांछित रविन्द्र उर्फ बुझारत पुत्र स्व0 अभयराज निवासी ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष व शाहबान पुत्र स्व0 शाहिद निवासी ग्राम तोवां थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को दुर्वाषा रोड़ से मुडियार गाँव मे जाने वाले खड़जा मोड़ से दिनांक 18.8.2025 को समय करीब समय 01.36 बजे चोरी की तीन बकरी के साथ पकड़ लिया गया अभियुक्त को धारा 305/317(2)/317(5) बीएनएस कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रविन्द्र उर्फ बुझारत पुत्र स्व0 अभयराज निवासी ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष
- 2- शाहबान पुत्र स्व0 शाहिद निवासी ग्राम तोवां थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष बरामदगी का विवरण:- चोरी का दो बकरा व एक बकरी व विक्रय का 250 रुपया ।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0-384/25 धारा धारा 305/317(2)/317(5) बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. रविन्द्र उर्फ बुझारत पुत्र स्व0 अभयराज निवासी ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष
क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद
1 211/19 380/411/457 भादवि फूलपुर आजमगढ़
2 269/19380/411/429/457/504/506 भादवि फूलपुर आजमगढ़
3 384/25305/317(2)/317(5) बीएनएस फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 दयानन्द, थाना फूलपुर, आजमगढ़



02.थाना सरायमीर: चोरी के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना-

दिनांक- 24.07.2025 को वादी मो० कलीम पुत्र युसुफ अली ग्राम अहेर थाना तिरवा जनपद कन्नौज द्वारा प्रा०पत्र० दिया गया कि मेरे साथ युनिस अली पुत्र युसुफ अली निवासी उपरोक्त है । दिनांक 23/07/2025 को सुबह करीब 8 बजे जब हम दोनों भाई अपने किराये के मकान से फेरी करने चले गए । मेरा किराये का घर स्टेट बैंक के बगल में कस्बा सरायमीर आजमगढ़ में है । जिसमें से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे कमरे का ताला तोड़कर मेरा तीस हजार रूपया और मेरे भाई युनिस अली का 15000 हजार रूपया लेकर चला गया । यह पैसा हम दोनों भाई फेरी करके इकट्ठा किये थे । जब हम दोनों भाई फेरी करके वापस कमरे में आये तो कमरे का ताला टुटा था सामान इधर उधर बिखरे थे और रूपया वहाँ से गायब था । वादी मुकदमा के दिये तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 346/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज विवेचना के क्रम प्रकाश में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान मा०न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिनांक 18.08.2025 को व०उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. एहतेशाम उर्फ सोनू पुत्र अब्बल साकिन चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष पेडरा नहक के पास से 500 रुपयों को समय करीब 09.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

1- कब्जे से 500 रुपय के 10 नोट, 100 रुपये की 03 नोट, 10 रुपये की 01 नोट व एक झोला(5310 रु) अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 346/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ । बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-0120/2025 धारा 60 अबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं०-0175/2025 धारा 118(1)/351(1)/352 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मु०अ०सं०-0047/2024 धारा 380, 411, 457 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. मु०अ०सं०- 120/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
5. मु०अ०सं० 346/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ । बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-एहतेशाम उर्फ सोनू पुत्र अब्बल साकिन चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- व०उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 2- हे०का० विजय तिवारी,थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 3-का० अंकुर सिंह,थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 4- का० विपिन पटेल, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



03.थाना तरवा: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 17.08.2025 को वादिनी मुकदमा थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ शनिवार शाम को जन्माष्टमी के दिन मंदिर से लगभग 1.00 बजे रात को अपने घर आकर कपड़ा बदल रही थी तभी अचानक उसी विपक्षी विशाल राजभर पुत्र मुराहु राजभर आवेदिका के घर में घुस कर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया, दिनांक-17.08.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2025 धारा -64, 333 बीएनएस बनाम विशाल राजभर पुत्र मुराहु राजभर निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार द्वारा सम्पादित किया जा रहा है अभियुक्त विशाल राजभर उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश जी रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक-18.08.2025 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को समय करीब -09.50 बजे तरवाँ डाकघर के सामने से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 215/2025 धारा -64, 333 बीएनएस थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- विशाल राजभर पुत्र मुराहु राजभर निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष
गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़
2. का0 सौरभ कुमार थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़
3. का0 अजय यादव थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़
4. म0का0 सिमरन साहनी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़



04.थाना- सिधारी: अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 17.08.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा ग्राम बेलईसा से अभियुक्त दिलीप श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राधेश्याम श्रीवास्तव निवासी मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष को समय 23.08 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त के पास 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1- दिलीप श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राधेश्याम श्रीवास्तव निवासी मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 110/2019 धारा 323/354(क)/504/506 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 396/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 396/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-दिलीप श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राधेश्याम श्रीवास्तव निवासी मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़
2. हे0कां0 मनोज कुमार यादव थाना सिधारी आजमगढ़



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 18.08.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बरदह: गैंगेस्टर एक्ट में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक- 28.02.2023 को वादी मुकदमा श्री संजय सिंह प्रभारी निरीक्षक बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम जिवली, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 85/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

→ जिसके क्रम में दिनांक-18.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवप्रसाद पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम जिवली, थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

